सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 10, मंगलवार, शाके 1944-मई 31, 2022 Jyaistha 10, Tuesday , Saka 1944- May 31, 2022	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मई 20, 2022

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/22/1142 :-विभागीय अधिसूचना क्रंमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (प) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत नीमराना, दौलतसिंहपुरा, प्रतापसिंहपुरा क्षेत्र (जिला अलवर) को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका नीमराना घोषित करती हैः-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	अलवर	नीमराना	ग्रांम पंचायत नीमराना, ग्रांम पंचायत दौलतसिंहपुरा एवं ग्रांम पंचायत प्रतापसिंहपुरा को सम्मिलित करते हुए (जनंसख्या-15,162) जनगणना 2011 के अनुसा

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2022-23 के अन्तर्गत ग्रांम पंचायत नीमराना, दौलतसिंहपुरा एवं प्रतापसिंहपुरा की विधमान सीमांए ही नवगठित नगर पालिका नीमराना की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।